

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4 (ख)/अलेसे III/निप लिंक न. 10573 / 529

दिनांक :- 21.6.2022

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

श्री भावेश कुमार यादव [लिंक न. 10573] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, डूंगरपुर ने राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य (ए.बी.एस.टी.) भर्ती परीक्षा 2020 उत्तीर्ण करने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन/ साक्षात्कार इत्यादि हेतु अनुमति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उनके आवेदन पत्र के आधार पर उन्हें दस्तावेज सत्यापन/ साक्षात्कार इत्यादि हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। यदि इनका चयन आवेदित पद पर किया जाता है तो ये नियमानुसार इस विभाग से कार्यमुक्त होकर चयनित पद पर कार्यग्रहण कर सकेंगे। इस संबंध में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

इन्हें दस्तावेज सत्यापन इत्यादि की तिथि के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।



(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4 (ख)/अलेसे III/निप लिंक न. 10573 / 529

दिनांक :- 21.6.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, डूंगरपुर।
2. श्री भावेश कुमार यादव [लिंक न. 10573] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, डूंगरपुर।



(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4 (ख)/अलेसे III/निप लिंक न. 12704 / 530

दिनांक :- 21.6.2022

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

श्रीमति/ सुश्री भावना शर्मा [लिंक न. 12704] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ने राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) भर्ती परीक्षा 2020 उत्तीर्ण करने के उपरांत दस्तावेज सत्यापन/ साक्षात्कार इत्यादि हेतु अनुमति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उनके आवेदन पत्र के आधार पर उन्हें दस्तावेज सत्यापन/ साक्षात्कार इत्यादि हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। यदि इनका चयन आवेदित पद पर किया जाता है तो ये नियमानुसार इस विभाग से कार्यमुक्त होकर चयनित पद पर कार्यग्रहण कर सकेंगे। इस संबंध में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

इन्हें दस्तावेज सत्यापन इत्यादि की तिथि के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4 (ख)/अलेसे III/निप लिंक न. 12704 / 530

दिनांक :- 21.6.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. श्रीमति/ सुश्री भावना शर्मा [लिंक न. 12704] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।



(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)